न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—343/2019/223 (2019/00343)

1. श्रीमती सुमन पुत्री स्व0 रामा, जाति रावत, निवासी गांव भोजपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती घीसी पत्नि रामा, नाजायज पत्नि नारायण सिंह,
2. श्रीमती चन्द्री देवी पत्नि रामपाल सिंह,
3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र रामपालसिंह,
4. बहादुर सिंह पुत्र रामपाल सिंह,
5. लालसिंह उर्फ गोविन्दसिंह पुत्र पांचूसिंह,
6. लीला पुत्र पांचूसिंह,
7. सुशीला पुत्री पांचूसिंह,
8. डाली पुत्री पांचूसिंह,
9. मोहनी पुत्री पांचूसिंह,
10. शांति पत्नि पांचूसिंह,
11. बज्जी बेवा पूना,
12. श्रीमती चंचल पत्नि सुरेश सिंह,
13. विनित पुत्र सुरेशसिंह,
14. अंकित पुत्र सुरेशसिंह,
    रेस्पो0 संख्या 13 व 14 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती चंचल पत्नि सुरेशसिंह,
15. अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह,
16. लक्ष्मी बेवा मंगलसिंह,
17. गोविन्द सिंह पुत्र पूनासिंह,
18. नैनी बेवा गणेश,
19. सीता पुत्री गणेश,
20. संतोष पुत्री गणेश,
21. मंजू पुत्री गणेश,
22. सुखी पुत्री गणेश,
23. हरजी पुत्र गिरधारी,
24. जगदीश पुत्र भैरा,
25. झूमी बेवा भेरा,
26. गीता देवी पत्नि रघुवीर सिंह,
27. ज्ञानी देवी पत्नि गोपाल,
28. टीना पुत्री गोपाल,
29. किरण पुत्री गोपाल,
30. कोमल पुत्री गोपाल,
31. मनीषा पुत्री गोपाल,
    रेस्पो0 संख्या 28 से 31 नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती ज्ञानीदेवी पत्नि गोपाल,
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।
33. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 11.9.2019 अंतर्गत वाद संख्या 133/2018.

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
- श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4.
2. श्री दिनेश साहू, वकील रेस्पो0 संख्या 11 से 17, 23 से 31.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 5 से 10, 18 से 22 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–24.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.9.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92–ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा भोजपुरा, तहसील ब्यावर में खाता संख्या 93 खसरा संख्या 312 रकबा 0–18–00 बीघा एवं खाता संख्या 118 खसरा संख्या 314 रकबा 1–03–00, खसरा संख्या 315 रकबा 00–16–00, खसरा संख्या 316 रकबा 00–15–00 एवं खसरा संख्या 322 रकबा 1–02–00 बीघा तथा खाता संख्या 120 के खसरा संख्या 275 रकबा 00–10–00 बीघा भूमि अवस्थित है । उक्त वादग्रस्त भूमियां वादिया व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजियात है । वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी होने से वादिया के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति रामा वल्द अन्ना का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर सहखातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा है । वादिया के पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 रहे। वादिया के पिता का स्वर्गवास होने पर वादिया नाबालिग थी, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नाजायज फायदा उठाकर बिना कानूनी अनुमति के वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 17.4.2008 को बेचान कर दिया तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम अंकित करवा दिया । प्रतिवादी संख्या 2 ने अन्य सहखातेदारों से मिलकर गैर कानूनी रूप से बिना वादिया की जानकारी में वादग्रस्त भूमि का विभाजन भी करवा लिया तथा विभाजन में जरिये नामांतकरण संख्या 558 दिनांक 6.8.2013 में खसरा संख्या 315 व 316 भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में गैर कानूनी रूप से बख्शीशनामा भी निष्पादित करवा दिया जिसके बाबत् राजस्व अभिलेख में नामांतकरण संख्या 578 के जरिये खसरा नंबर 315 व 316 अंकित कर दिया गया । वादिया ग्रामीण परिवेश की महिला है तथा सदैव सही समझती रही कि उपरोक्त भूमि पुश्तैनी है तथा उसका कब्जा चला आ रहा है । राजस्व अभिलेख में उसका नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा होगा । दिनांक 3.7.2018 को प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 वादग्रस्त भूमि पर आये तथा जबरन वादिया के कब्जे काश्त में दखलदांजी उत्पन्न करना शुरू कर दिया तथा वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने की धमकी दी कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में हमारे नाम है तथा हम तुम्हे इस भूमि से बेदखल कर अन्य लोगों को बेचान करेगे जिस पर वादिया व उसके परिजन ने उन्हें

समझाया लेकिन वह समझने को तैयार नहीं हुए । इस कारण वादिया को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया तथा कथन किया कि वादिया का वाद मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है, दावा प्रस्तुत करने के अवधि 3 वर्ष है, जो निकल चुकी है इस कारण दावा बार्ड बाय लॉ और बिना क्षेत्राधिकार के होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 11.9.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादिया का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वाद पत्र की मियाद बाबत् अपना विवेचन अंकित करते हुए वाद को मियाद बाहर होना मानकर खारिज किया है जबकि वास्तव में वादपत्र में अंकित अभिवचन जिसमें हस्तातंरण बाबत् कथन है उक्त हस्तातंरण की जानकारी होने के पश्चात् वाद प्रस्तुत करने बाबत् स्पष्ट अभिवचन अंकित किए हुए है । ऐसी स्थिति में यह बिन्दु न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के द्वारा ही तय किया जा सकता था, क्योंकि जहां तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है वह साक्ष्य द्वारा ही तय किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद को प्रारंभिक अवस्था में खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है । इस बाबत् आर0बी0जे0 2015 पेज 325 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित कर कथन किया कि वाद को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर वाद को मियाद बाहर खारिज करना पूर्णतया गलत है । अधी0न्याय0 ने अपीलांट के वाद को निर्णित करने हेतु जिस नजीर या विधिक सिद्धांत को अपने निर्णय का आधार बनाया है वह डी0एन0जे0 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 337 ऐसे प्रकरणों से संबंधित है जिसमें जो पक्षकार वाद न्यायालय में लेकर आया था, उसके स्वंय द्वारा पंजीकृत विलेख निष्पादित किया गया था जिसे छिपाकर वाद लाया गया था, जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलांट की नाबालिग अवस्था में सरंक्षक द्वारा किए गए हस्तातंरण जिसकी जानकारी अपीलांट को होने के उपरांत वाद प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 ने अत्यंत ही अवैधानिक पहुंच रखते हुए उपरोक्त विधिक दृष्टांत को निर्णय का आधार बनाकर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवार की जायज आवश्यकता बाबत् या नाबालिग की आवश्यकता हेतु किसी प्रकार का कोई हस्तातरंण नहीं किया गया है। अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया ने इन बिन्दुओं को आक्षेपित किया है जिस पर अधी0न्याया0 ने विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । उक्त के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष तनकीयात कायम होकर साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर वाद को प्रारंभिक अवस्था में ही निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध निर्णय है । वादपत्र में विक्रय पत्र तथा नामांतकरण को वादिया के हक, अधिकारों के प्रति शून्य प्रभावी होना वर्णित किया है जिसे वाद के विचारण के द्वारा ही साबित किया जा सकता है । वाद के अभिवचनों का समग्र रूप से अवलोकन किए बिना वाद को प्रारंभिक अवस्था में निरस्त किया गया है जिसे विधिसम्मत निर्णय नहीं माना जा सकता है । प्रतिवादी पक्षकार को वाद के अभिवचनों से जो भी विरोध है, या प्रतिवादी पक्षकार का जो भी प्रतिरक्षा का अधिकार है वह उसे जवाबदावे में अंकित करने का अधिकार

है परन्तु जहां वाद साक्ष्य का मोहताज हो ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों को समझने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि की है । इस संबंध में आर0बी0जे0 2013 पेज 159 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि वादपत्र के अभिवचनों से बाहर जाकर प्रतिवादी के आक्षेप के आधार पर वाद खारिज नही किया जा सकता है । अपीलांट न तो अधिक पढ़ी लिखी है न विधिक प्रावधानों की समझ रखती है, नाबालिग अवस्था में सरंक्षक के तौर पर नाबालिग के हितों के विरूद्ध जो कार्य किया गया है, इसकी जानकारी होने के उपरांत शीघ्र अपीलांट ने वाद दायर कर दिया, वाद को बिना किसी आधार के तकनीकी आधार पर खारिज करना अपीलांट को न्याय से वंचित करना है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4 ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अपीलमीमों की चरण संख्या 2 में जो आधार उठाये है वह आधार किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलांट ने अपील में यह आधार लिया है कि हस्तातंरण जानकारी नहीं होते हुए वाद प्रस्तुत करने बाबत् अभिवचन करना अंकित किया है जबकि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत अगर वादपत्र के अभिवचन देखने मात्र से मियाद बाहर प्रतीत होते है तो ऐसी स्थिति में उक्त परिसीमा के बिन्दु पर वाद निरस्त किया जा सकता है जिसमें किसी भी प्रकार से साक्ष्य लिया जाना आवश्यक नहीं है । चूंकि उक्त वाद ममें परिसीमा अधि0 का आर्टिकल 60 लागू होता है जिसमें ऐसे किसी भी वाद जिसमें सरंक्षक द्वारा माइनर की प्रोपर्टी को बेचान किया जाता है तो माइनर बालिग होते ही तीन साल की अवधि में उक्त बेचान को चुनौती दे सकता है जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.3.2008 के अनुसार घीसी पत्नि स्व0 रामा उम्र 48 साल एवं कुमारी सुगन आयु 17 साल अंकित की गई है तथा उक्त बेचाननामे को 18 साल की आयु प्राप्त करते ही तीन साल के भीतर चुनौती नहीं दी है जबकि उक्त वाद अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष सन् 2018 में अर्थात् 10 साल विलंब से पेश किया है । इसलिय उक्त वाद की मियाद आर्टिकल 60 के अन्तर्गत कम्पयुटेड की जायेगी । इसलिये भी उक्त वाद मियाद बाहर हो गया है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0संख्या 2 से 4 ने सी0सी0सी0 2016 (2) पेज 751 मद्रास एवं 2018 सी0सी0सी0 पेज 007 उड़ीसा के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । बहस में आगे कथन किया कि जहां तक अपील में अपीलांट ने मिश्रित प्रश्न एवं साक्ष्य लिये जाने का आधार उठाया है उसके विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डी0एन0जे0 2019 पेज 337 में यह प्रतिपादित किया है कि Plaint can be rejected under order 7 rule 11 if it is clearly barred by limitation. इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्णतः विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अपील की चरण संख्या 3 में यह आधार लिया है कि उक्त बेचाननामा लीगल नेसेसिटी के अभाव में किया गया है इसलिये उक्त बेचाननामा वादिया के अधिकारों व हितों के प्रति शून्य दस्तावेज है जबकि उक्त बेचाननामा दिनांक 17.3.2008 के पेज नंबर 2 में स्पष्ट अंकित किया है कि '' घीसी को अपनी अव्यस्क पुत्री कुमारी सुमन के भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा व अन्य सामाजिक संस्कारों के निष्पादन हेतु तथा अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रकम की जरूरत है इस बाबत् उक्त कृषि भूमि बेचान की गई है इसलिये उक्त बेचाननामा किसी भी प्रकार अविधिक रूप से नहीं किया गया है इसलिये वादिया को कोई वादकारण भी उत्पन्न नहीं होता है । अपीलांट का यह कथन कि

बेचानामे को अपने अधिकारों के प्रति हिन्दू गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट के अंतर्गत बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति लिये बेचाननामा निष्पादित करवाने के कारण शून्य/अप्रभावी है । इस संबंध में हिन्दू गार्जियन एवं वार्डस एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत ऐसे बेचाननामे जो कि वाईडेबल/शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आता है इसलिये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के अंतर्गत सिविल न्यायालय को ही ऐसे दस्तावेज के निरस्तीकरण का अधिकार है, इसलिये भी उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण अधी0न्याया0 ने वाद को निरस्त किया है । इस संबधं में विद्वान वकील रेस्पो0 ने डी0एन0जे0 2018 (3) राज0 पेज 1244 एवं सी0सी0सी0 217 सप्ली. पेज 448 डी0बी0 तेलगांना के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । अंत में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादिया का दावा मियाद बाहर होने के कारण कानूनन चलने योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 11.9.2019 द्वारा वादिया/अपीलांट वाद मियाद बाहर होने तथा बेचाननामा, बख्शीशनामा, नामांतकरण रद्द करवाने का अनुतोष चाहे जाने से वाद राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में नहीं होने के आधार पर खारिज किया है ।

6. वादिया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष ग्राम भोजपुरा, तहसील ब्यावर के खसरा नंबर 312, 314,315, 316, 322 व 275 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था । जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 के खाता संख्या 93 में अंकित खसरा संख्या 312 अन्य सहखातेदारान के साथ रामा वल्द अन्ना व मु0 मूमी बेवा अन्ना दर्ज है । इसी जमाबंदी में जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 400 दिनांक 5.4.2008 से मृतक मूमी बेवा अन्ना व रामा वल्द अन्ना के स्थान पर अन्य सहखातेदारान के साथ घीसी बेवा रामा, सुमन नाबालिग पुत्री रामा दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 के खाता संख्या 118 में अंकित खसरा नंबर 314, 315, 316, 322 में अन्य सहखातेदारान के साथ रामा वल्द अन्ना व मु0 मूमी बेवा अन्ना दर्ज है एवं इस जमाबंदी में अंकित विरासत नामांतकरण संख्या 400 दिनांक 5.4. 2008 से मृतक मूमी बेवा अन्ना व रामा वल्द अन्ना के स्थान पर अन्य सहखातेदारान के साथ घीसी बेवा रामा, सुमन नाबालिग पुत्री रामा दर्ज है । उक्त दोनों ही जमाबंदियों में घीसी बेवा रामा, सुमन नाबालिग पुत्री रामा द्वारा अपने हक हिस्से की भूमियों का बेचान किये जाने का नामांतकरण नोट संख्या 405 दिनांक 6.5.2008 अंकित है । इसके अतिरिक्त खाता संख्या 120 में खसरा संख्या 275 बाबत् भी घीसी बेवा रामा, सुमन नाबालिग पुत्री रामा द्वारा बेचान किये जाने का नामांतकरण नोट अंकित है । पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.3. 2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि घीसी पत्नि रामा उम्र 48 साल एवं कुमारी सुमन आयु 17 साल अव्यस्क पुत्री स्व0 रामा द्वारा वादग्रस्त आरायिजात में स्वंय के हिस्से का बेचान किया गया है । उक्त विक्रय पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि श्रीमती घीसी अपनी अव्यस्क पुत्री कुमारी सुमन के भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा व अन्य सामाजिक संस्कारों के निष्पादन हेतु तथा अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रकम की जरूरत होने से यह बेचान किया है । उक्त विक्रय पत्र के समय वादिया/अपीलांट की उम्र 17 वर्ष होने का कथन किया है जबकि

वादिया द्वारा वाद वर्ष 2018 में पेश किया जिसमें वादिया ने अपनी उम्र 27 वर्ष होना अंकित किया है । भारतीय मियाद अधि0 के अनुसार वादिया को बालिग होने के तीन वर्ष की अवधि में विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने का अधिकार है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 17.3.2008 पंजीबद्ध है जिसमें विक्रेता श्रीमती घीसी पति रामा एवं कु0 सुमन पुत्री रामा जरिये माता व प्राकृतिक सरंक्षिका श्रीमती घीसी बेवा रामा द्वारा श्रीमती चन्द्री देवी पत्नि रामपालसिंह रावत को बेचान किया गया है । इस विक्रय पत्र में भी अपीलांट की माता श्रीमती घीसी ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अपनी अव्यस्क पुत्री कु0 सुमन के भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा व अन्य सामाजिक संस्कारों के निष्पादन हेतु रकम की जरूरत है । इस कारण विक्रय की जा रही है । तत्समय अपीलांट की माता द्वारा विक्रय पत्र में गलत कथन किये गये हो इस तथ्य की जांच का अधिकार सक्षम दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है । राजस्व न्यायालय को इन तथ्यों की जांच की अधिकारिता नहीं है । पंजीबद्ध विक्रय पत्र को शून्यीकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविलि न्यायालय को है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान मे रख कर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद को खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.9.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर